

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ रोड़ ज्योति नगर, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ4(ई)(1)(6)/निप/भर्ती-2023/(अलेसे-III/6663 दिनांक :- 26.8.2025

कार्यालय आदेश

श्री दीपक सिंगारिया, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय जिला कोषाधिकारी, बाडमेर के पत्र दिनांक 16.04.2025 द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 17.01.2025 तक (कुल 01 दिवस)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री दीपक सिंगारिया, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ4(ई)(1)(6)/निप/भर्ती-2023/(अलेसे-III/6664 दिनांक :- 26.8.25
प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, बाडमेर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. श्री दीपक सिंगारिया, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय कोषाधिकारी, बाडमेर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
5. पदस्थाप सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा/रक्षित पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)